श्री कवीन्द्र कुमार, सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश, नालंदा (बिहार शरीफ) ।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1098 / 2026

रहुई थाना काण्ड सं0–199 / 2026

अनुज यादव बगैरह बनाम बिहार सरकार

रहुई थाना काण्ड सं0–199 / 2026 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 117(2), 352, 109(1), 303(2), 3(5) भा. न्या. सं. ।

1. अनुज यादव पुत्र–रामबदन यादव,
2. विनोद यादव पुत्र–दंगल यादव एवं
3. गौतम कुमार पुत्र–विनोद यादव

तीनों साकिन–रामपुर, थाना–रहुई, जिला–नालंदा ।

:–आवेदक / अभियुक्त ।

बनाम

बिहार सरकार

19.06.2026

आवेदकगण / अभियुक्तगण अनुज यादव, विनोद यादव एवं गौतम कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन, रहुई थाना काण्ड सं0–199 / 2026, धारा–126(2), 115(2), 352, 118(2), 117(2) 109(1), 303(2), 3(5) भा. न्या. सं. से संबंधित है, जिसकी सुनवाई आज की गयी । अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में ही लोक अभियोजक को प्राप्त करायी जा चुकी है ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सूचक दि. 02.05.2026 के लिखित आवेदन में कहा है कि आज सुबह 07 बजे उसका लड़का शशि भूषण कुमार अपने घर से जानवर के लिए विचाली लाने खलिहान जा रहे थे । जैसे ही रामबदन यादव के घर के पास पहुंचा तब 1. रामबदन यादव, 2. अनुज यादव, 3. फन्टुस यादव, 4. विनोद यादव एवं 5. गौतम कुमार सभी मिलकर घेर लिया और गाली–गलौज करने लगा और शशि भूषण को जान मारने के नियत से लोहा के रड से माथा पर मारे जिससे माथा फट गया । अनुज यादव लोहा के गड़ांसा से गर्दन पर मारा और कनपट पर मारा । राकेश उर्फ फन्टुस कुमार लोहा के रड से पीठ पर मारा और टेहुना पर मारा । जब सूचक लड़का के बचाव में पहुंचा तो विनोद यादव लोहे के रड जान मारने के नियत से माथा पर मारा जिससे माथा फट गया और गौतम कुमार आंख पर मारा । शशि भूषण कुमार का वजरंगवली को अनुज यादव ले लिया । अगल–बगल के लोग दौड़े, तब वे लोग भाग गये । मुझे और मेरा लड़का को इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहुई लाया गया जहां से मेरा लड़का को सदर अस्पताल बिहार शरीफ रेफर कर दिया गया । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार का कहना है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है । सूचक का लिखित आवेदन बिल्कुल गलत एवं बनावटी है और ग्रामीण राजनीति से उत्पन्न है । आवेदकगण द्वारा किसी प्रकार कोई घटना कारित नहीं किया गया है । उभय पक्ष आपस में सहोदर भाई एवं भतीजा है और जमीनी विवाद के कारण आवेदकगण को सूचक ने मनगढ़ंत एवं झूठा मुकदमा में फंसा दिया गया है । आवेदक पर सर्वग्राही एवं सर्वप्रयोज्य से मार–पीट का आरोप है । आवेदकगण के विरुद्ध रहुई थाना काण्ड सं0–294 / 2023 एवं 223 / 2025 दर्ज है । चोरी का आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने हेतु लगाया गया है । आवेदकगण द्वारा इस जमानत आवेदन के

श्री कवीन्द्र कुमार, सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश, नालंदा (बिहार शरीफ) ।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1098 / 2026

रहुई थाना काण्ड सं0–199 / 2026

अनुज यादव बगैरह बनाम बिहार सरकार

लगातार 19.06.2026

अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है । इस वाद के सह–अभियुक्त रामबदन यादव का नियमित जमानत **B.P.No.-746/2026** से आज ही इसी न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया है । आवेदक न्यायालय के नियमों एवं शर्तों को मानने के लिए तैयार है । अतः अभियुक्तगण को किसी भी शर्त पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय ।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहे कि आवेदकगण पर धारा–109(1) भा. न्या. सं. का आरोप है । अतः अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय । हालांकि सह–अभियुक्त का नियमित जमानत मंजूर किये जाने पर सहमति व्यक्त किये ।

उभय पक्षों को सुना । अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया । इस वाद की प्राथमिकी धारा–126(2), 115(2), 352, 118(2), 117(2) 109(1), 303(2), 3(5) भा. न्या. सं. में दर्ज किया गया है जिसमें धारा–109(1), 303(2) भा. न्या. सं. अजमानतीय है । लिखित आवेदन एवं वाद दैनिकी के कण्डिका–48 समीक्षात्मक टिप्पणी से यह बात उभरकर आया है कि राजबल्लम यादव(सूचक), रामबदन यादव एवं विनोद यादव आपस में सहोदर भाई है । पिछले 5–6 वर्षों से तीनों भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर हमेशा विवाद होते रहते हैं । वाद दैनिकी के साथ सूचक एवं सूचक के पुत्र शशिभूषण कुमार का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है । दोनों जख्मियों का जख्म साधारण प्रकृति का है । जहां तक चोरी का आरोप है । उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं जिससे प्रथम दृष्टया बनावटी या मुकदमा को गंभीर बनाने हेतु लगाया गया प्रतीत होता है । इस वाद के सह–अभियुक्त रामबदन यादव का नियमित जमानत **B.P.No.-746/2026** से आज ही इसी न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया है । उपरोक्त सभी तथ्यों विशेषकर जमीनी विवाद, आपसी गोतिया एवं सह–अभियुक्त को जमानत दिये जाने को घ्यान में रखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित्य प्रतीत प्रतीत होता है ।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण / अभियुक्तगण अनुज यादव, विनोद यादव एवं गौतम कुमार की ओर से अलग–अलग मो0–10,000 x 2 धनराशि के समान प्रतिभू के साथ विचारण न्यायालय में इस आदेश के 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण या गिरफ्तार किये जाने पर दाखिल करने पर विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(कवीन्द्र कुमार)
सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश,
नालंदा, बिहार शरीफ ।

श्री कवीन्द्र कुमार, सप्तम जिला सत्र न्यायाघीश, नालंदा (बिहार शरीफ) ।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1098 / 2026

रहुई थाना काण्ड सं0–199 / 2026

अनुज यादव बगैरह बनाम बिहार सरकार

लगातार 19.06.2026

मेमो नं0–––– / 2026 दि.

प्रतिलिपि अग्रसारित :–C.J.M., Nalanda.

(कवीन्द्र कुमार)
सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश,
नालंदा, बिहार शरीफ ।